17/11/19 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। मूल पत्रावली तलब कर अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ~~गण~~ ने बहस में कथन किया कि उक्त मूल वाद में उसके नाम सम्मन जारी ~~नहीं है तभी~~ हुआ जो तामील नहीं हुआ है तथा दिनांक 29.6.2018 को उपस्थिति बाबत कोई सूचना प्रार्थी को नहीं मिल पाई है। मूल पत्रावली के अवलोकन से उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः, ~~आदेश~~ दिनांक 29.6.2018 को पारित आदेश एकपक्षीय में कोई त्रुटि नहीं हुई है। प्रतिवादी जो वाद में विपक्षी ~~है~~ प्रार्थी है। प्रार्थी का कब्जा विपक्षी की खातेदारी आराजी सं. 2209 रकबा 0.7100 हे. भूमि से 0.6500 हे. भूमि पर नाजायज कब्जा होना ~~हेतु~~ पासर होना प्रमाणित है। प्रार्थी अपने खाते की जमीन की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही पृथक से करें। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. को स्वीकार किया जाना न्यायोचित होकर उचित नहीं है। अतः, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी. को अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रेकार्ड हो।

(हस्ताक्षर)